व्यापार की योजना

पर

आय सृजन गतिविधि

कटाई और सिलाई

के लिए

स्वयं सहायता समूह – जय दुर्गा माँ

एसएचजी/सीआईजी नाम	जय दुर्गा माँ
वीएफडीएस नाम	सरी
रेंज	कमलाह
मंडल	जोगिंदर नगर

के तहत तैयार-

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना (जेआईसीए सहायता प्राप्त)

सामग्री की तालिकाएँ

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक.
1.	परिचय	3
2.	विवरणएसएचजी/सीआईजी का	4
3.	लाभार्थियोंविवरण	5
4.	भौगोलिकगांव का विवरण	6
5.	बाजार की संभावना	6
6.	कार्यकारिणीसारांश	7
7.	आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण	7
8.	उत्पादन का विवरणप्रक्रिया	7
9.	संकट विश्लेषण	7
10.	विवरणसदस्यों के बीच प्रबंधन का	7-8
11।	विवरणअर्थशास्त्र का	8-9
12.	स्वयं सहायता समूह में निधि प्रवाह व्यवस्था	10
13.	निधि के स्रोत	10
14.	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	11
15.	ब्रेक-ईवन बिंदु की गणना	11
16.	किनाराकर्ज का भुगतान	11
17.	निगरानीतरीका	11-12
18.	टिप्पणी	12
19.	समूह सदस्य की तस्वीरें	13
20.	समूह फोटो	14
21.	संकल्प-सह-समूह सर्वसम्मति प्रपत्र	15
22.	वीएफडीएस और डीएमयू द्वारा व्यावसायिक अनुमोदन	16

1. परिचय-

कटिंग और टेलरिंग को कपड़ों की सिलाई के रूप में भी जाना जाता है। कटिंग और टेलरिंग के इस कौशल का उपयोग सूट, रूमाल और सभी आयु समूहों के लिए अलग-अलग शैलियों के अलग-अलग कपड़े, टेबल कवर, पर्दे, बैग आदि जैसे घरेलू उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में महिलाओं के बीच एक आम घरेलू गतिविधि है। अधिकांश महिलाएँ इस IGA से अच्छी तरह परिचित हैं और वे अपने खाली समय में और साथ ही साथ अन्य घरेलू कामों के दौरान इसे खुशी से करती हैं। उनके द्वारा इसे स्वयं करने का एक कारण पैसे बचाना है। इस SHG में महिलाएँ अपने परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही सक्रिय हैं। अब सदस्यों ने इस गतिविधि को IGA के रूप में चुना है ताकि वे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पैसे कमा सकें और कठिन समय के लिए कुछ बचत भी कर सकें। SHG के रूप में पहले से मौजूद विभिन्न आयु समूहों की 10 महिलाओं का एक समूह JICA परियोजना का हिस्सा बनने के लिए एक साथ आया और एक व्यवसाय योजना तैयार करने का फैसला किया जो उन्हें सामूहिक रूप से इस IGA को लेने और अपनी अतिरिक्त आय बढ़ाने में मदद कर सके।

इस IGA (आय सृजन गतिविधि) में शामिल होने से पहले बाजार की संभावनाओं और विभिन्न पहलुओं पर बहुत सावधानी से चर्चा करने के बाद। जय दुर्गा माँ SHG समूह ने सामूहिक रूप से कटिंग और टेलरिंग को अपनी आय सृजन गतिविधि (IGA) के रूप में करने का निर्णय लिया है। जय दुर्गा माँ SHG का गठन वर्ष 2015 में किया गया था और इसे हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका (JICA असिस्टेड) के सुधार के लिए परियोजना के तहत भी शामिल किया गया है, जो VFDS सरी के अंतर्गत आता है। इस SHG में 10 महिलाएं हैं। इन महिलाओं को पहले से ही कटिंग और टेलरिंग का थोड़ा अनुभव था और अब इस परियोजना के वित्तपोषण, प्रशिक्षण और सहायता की मदद से वे इस कौशल को विकसित करेंगी और पेशेवर बन जाएंगी। वे कपड़े सिलने में सक्षम होंगी और आत्मनिर्भर होंगी और आय उत्पन्न करेंगी। इस SHG की विस्तृत व्यवसाय योजना इसकी निवेश क्षमता, विपणन और प्रचार रणनीति के अनुसार तैयार की गई है

2. एसएचजी/सीआईजी का विवरण

1.	एसएचजी/सीआईजी नाम	जय दुर्गा माँ
2.	वीएफडीएस	सरी
3.	रेंज	कमलाह
4.	मंडल	जोगिंदर नगर
5.	गाँव	सरी
6.	अवरोध पैदा करना	धरमपुर
7.	ज़िला	मंडी
8.	एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	10
9.	गठन की तिथि	10-08-2015
10.	बैंक खाता सं.	33410103344
11।	बैंक विवरण	हिमाचल राज्य सहकारी बैंक लोंगणी
12.	एसएचजी/सीआईजी मासिक बचत	1000 (प्रति व्यक्ति 100)
13.	कुल बचत	87,000
14.	कुल अंतर ऋण	--
15.	नकद क्रेडिट सीमा	-
16.	पुनर्भुगतान स्थिति	-

3. लाभार्थियों का विवरण

क्र.सं.	नाम	एम/एफ	पिता/ पति का नाम	वर्ग	पद का नाम	संपर्क नंबर।
1	जिम्मी ठाकुर	एफ	सुनील कुमार	सामान्य	अध्यक्ष	9805263755
2	अंजना देवी	एफ	हरीश गुलेराई	सामान्य	सचिव	8219932012
3	कमला देवी	एफ	सूरत सिंह	सामान्य	सदस्य	7807721724
4	पुष्पा देवी	एफ	रामलाल	सामान्य	सदस्य	9418152674
5	परवीन कुमारी	एफ	रंजीत गुलेरिया	सामान्य	सदस्य	8627045453
6	रजनी	एफ	राकेश गुलेरिया	सामान्य	सदस्य	8988434168
7	निशा	एफ	राज कुमार	सामान्य	सदस्य	8628043285
8	कंचना	एफ	पवन कुमार	सामान्य	सदस्य	9459882496
9	प्रमिला देवी	एफ	अच्चर सिंह	सामान्य	सदस्य	9459882296
10	सुनीता देवी	एफ	अशोक गुलेरिया	सामान्य	सदस्य	8091702137

4. गांव का भौगोलिक विवरण

1	जिला मुख्यालय से दूरी	110 किमी
2	मुख्य सड़क से दूरी	2 किमी
3	स्थानीय बाजार का नाम एवं दूरी	लोंगनी- 4 किमी
4	मुख्य बाजार का नाम एवं दूरी	धरमपुर -15 किमी
5	मुख्य शहरों के नाम एवं दूरी	मंडी 115 किमी सरकाघाट 25 किमी धरमपुर 15 किमी सैंडहोल 15 किमी

6	मुख्य शहरों का नाम जहां उत्पाद बेचा/विपणन किया जाएगा	सरकाघाट, धरमपुर, संधोल, अवाह देवी

5. बाजार की संभावनाएं-

कटिंग और टेलरिंग का हुनर सीखने के बाद, यह जय दुर्गा माँ SHG अपने क्षेत्र और आस-पास के गाँवों की स्थानीय आबादी को लक्षित करेगा। फैशन के बढ़ने और तेज़ी से बदलने के साथ ही बाज़ार में बहुत संभावनाएं हैं, सिलाई के कपड़ों की मांग पूरे साल रहेगी। अलग-अलग मौसम होते हैं और उनमें अलग-अलग तरह के कपड़ों की ज़रूरत होती है, जो यह भी सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय टिकाऊ रहेगा क्योंकि पूरे साल मांग रहेगी। त्यौहारों या शादियों के मौसम में इस SHG के ग्राहकों की संख्या में उछाल देखने को मिलेगा।

1	संभावित बाज़ार स्थान/स्थान	गांव कवर - सारी
2	सिलाई कार्य की मांग	वर्ष भर त्यौहारों और विवाह के अवसरों पर इसकी मांग अधिक रहती है।
3	बाजार की पहचान की प्रक्रिया	समूह के सदस्य आस-पास के ग्रामीणों/परिवारों/संस्थाओं से संपर्क करेंगे।
4	विपणन रणनीति	स्वयं सहायता समूह के सदस्य सीधे तौर पर आस-पास के ग्रामीणों/परिवारों/संस्थाओं से ऑर्डर लेंगे (व्यक्तिगत स्तर/समूह स्तर)।

6. कार्यकारी सारांश-

इस स्वयं सहायता समूह द्वारा कटिंग और टेलरिंग आय सृजन गतिविधि का चयन किया गया है। यह IGA इस SHG की सभी महिलाओं द्वारा किया जाएगा। यह व्यवसायिक गतिविधि समूह के सदस्यों द्वारा वार्षिक रूप से की जाएगी। सदस्य इस गतिविधि को अलग-अलग कर रहे हैं, लेकिन अब वे अपने कौशल को बढ़ाने के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इस गतिविधि को थोड़े बड़े पैमाने पर और योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए हाथ मिला रहे हैं। इस समूह द्वारा प्रारंभ में विभिन्न प्रकार के सूट सिले जाएंगे। ग्राहकों की मांग के अनुसार सूट सिले जाएंगे।सदस्यों के बीच श्रम विभाजन की योजना सावधानीपूर्वक बनाई गई है, ताकि प्रत्येक सदस्य आईजीए को मजबूत करने में योगदान दे सके और परिणामस्वरूप अतिरिक्त धनराशि उनकी जेब में आ सके।

7. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण-

1	उत्पाद का नाम	सिला हुआ सूट
2	उत्पाद पहचान की विधि	समूह के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है
3	एसएचजी/सीआईजी/क्लस्टर सदस्यों की सहमति	हाँ

8. उत्पादन प्रक्रियाओं का विवरण-

1	समय लिया	एक सूट तैयार करने में लगभग 3-4 घंटे लगते हैं।
2	शामिल महिलाओं की संख्या	सभी महिलाएं
3	कच्चे माल का स्रोत	स्थानीय बाजार/मुख्य बाजार
4	अन्य संसाधनों का स्रोत	स्थानीय बाजार/मुख्य बाजार
5	प्रतिदिन अपेक्षित सिले हुए सूट	शुरुआत में 5 सूट

9. संकट विश्लेषण-

कौशल आधारित
मांग संचालित
अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार

10.सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण

आपसी सहमति से स्वयं सहायता समूह के सदस्य कार्य को पूरा करने के लिए अपनी भूमिका और जिम्मेदारी तय करेंगे। सदस्यों के बीच उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य का बंटवारा किया जाएगा।

कुछ लोग काटने में शामिल होंगे।

अन्य लोग सिलाई में लगे रहेंगे

कुछ लोग सिले हुए सूटों की अंतिम फिनिशिंग में लगे रहेंगे।

और अन्य अंतिम उत्पाद की उचित इस्त्री और पैकिंग में होंगे।

11. अर्थशास्त्र का विवरण -

ए. पूंजीगत लागत				
क्र. सं.	विवरण	मात्रा	यूनिट मूल्य	राशि (रु.)
1	सिलाई मशीन	10	7000	70000
2	इंटरलॉक मशीन	1	5000	5000
3	दर्जी कैंची	10	500	5000
4	टेलरिंग रूलर सेट	10	600	6000
5	सिलाई दर्जी टेप	10	50	500
6	लौह प्रेस	4	1200	4800
7	अलमारी	2	रास	10000
8	कांटा	4 सेट	रास	800
9	कुर्सियां, मेज	लगभग	रास	3000
कुल पूंजी लागत (ए) = रु 1,05,100				

बी. आवर्ती लागत					
क्र. सं.	विवरण	इकाई	मात्रा	यूनिट मूल्य	कुल राशि (रु.)
1	सिलाई धागे, बटन, ज़िप, सूट अस्तर आदि	उत्तर	रास	रास	4000
2	कमरे का किराया	महीना	1	2000	2000
3	पैकेजिंग सामग्री	महीना	रास	रास	2000
4	अन्य (परिवहन, स्टेशनरी, बिजली बिल, मशीन मरम्मत()	महीना	रास	रास	3000
कुल आवर्ती लागत (बी) = 11,000					

नोट – समूह के सदस्य स्वयं कार्य करेंगे, इसलिए श्रम लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
शामिल किया गया है और सदस्य आपस में कार्यसूची का प्रबंधन करेंगे प्रत्येक महिला प्रतिदिन 4-5 घंटे काम करेगी।

सी. उत्पादन लागत (मासिक)		
क्र. सं.	विवरण	मात्रा
1	कुल आवर्ती लागत	11,000
2	पूंजीगत लागत पर 10% वार्षिक मूल्यह्रास	10,510
कुल = 21,510		

डी. विक्रय मूल्य गणना			
क्र. सं.	विवरण	इकाई	मात्रा
1	साधारण सूट	1	250-300
2	अन्य (प्लाज़ो, अस्तर आदि)	1	350-400

लागत लाभ विश्लेषण (मासिक)

लागत लाभ विश्लेषण (मासिक)		
क्र. सं.	विवरण	मात्रा
1	पूंजीगत लागत पर 10% वार्षिक मूल्यह्रास	10,510
2	कुल आवर्ती लागत	11,000
3	प्रति माह कुल सिले हुए सूट	300 (लगभग मात्रा)
4	सिले हुए सूट का विक्रय मूल्य (प्रति सूट)	300
5	आय पीढ़ी	90,000
6	शुद्ध लाभ (आय सृजन - आवर्ती लागत)	79,000
7	शुद्ध लाभ का वितरण	✓ लाभ को मासिक/वार्षिक आधार पर सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। ✓ लाभ का उपयोग आईजीए में आगे निवेश के लिए किया जाएगा

12.स्वयं सहायता समूह में निधि प्रवाह व्यवस्था -

क्र. सं.	विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना योगदान	एसएचजी योगदान
1	कुल पूंजी लागत	1,05,100	78,825	26,275
2	कुल आवर्ती लागत	11,000	0	11,000
3	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन।	60,000	60,000	0
कुल		1,76,100	1,38,825	37,275

टिप्पणी:

i) पूंजीगत लागत- 50% पूंजीगत लागत परियोजना द्वारा तथा 50% स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी।

ii) आवर्ती लागत - स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी।

iii) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन का खर्च परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा।

13. निधि के स्रोत -

परियोजना समर्थन	✧ यदि सदस्य सामान्य श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणी के हैं तो परियोजना द्वारा पूंजी लागत का 75% वहन किया जाएगा। यदि सदस्य सामान्य श्रेणी के हैं तो परियोजना द्वारा पूंजी लागत का 50% वहन किया जाएगा। ✧ स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में 1 लाख रुपए तक की धनराशि जमा की जाएगी। ✧ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत। ✧ 5% ब्याज दर की सब्सिडी सीधे डीएमयू द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी और यह सुविधा केवल तीन वर्षों के लिए होगी। स्वयं सहायता समूहों को नियमित आधार पर मूलधन की किश्तों का भुगतान करना होगा।	खरीद मशीनों/उपकरणों का आवंटन सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करने के बाद संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा किया जाएगा।
एसएचजी योगदान	✧ सामान्य श्रेणी और अन्य श्रेणियों के लिए पूंजीगत लागत का 50% या 25% क्रमशः स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा। ✧ यदि समूह महिला समूह है तो पूंजीगत लागत का 25% परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा। ✧ आवर्ती लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी।	

14. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन -

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।
निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- ✧ कच्चे माल की लागत प्रभावी खरीद
- ✧ गुणवत्ता नियंत्रण
- ✧ पैकेजिंग और विपणन
- ✧ वित्तीय प्रबंधन

15. ब्रेक-ईवन बिंदु की गणना -

=1,05,100/(250-180)
= 1,05,100/70

इस प्रक्रिया में 1501 सूटों की सिलाई के बाद ब्रेक-ईवन प्राप्त किया जाएगा।

16. बैंक ऋण चुकौती-

यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और सीसीएल के लिए कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; तथापि, सदस्यों से मासिक बचत और पुनर्भुगतान रसीद सीसीएल के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।

- ✧ सीसीएल में, एसएचजी के बकाया मूल ऋण का भुगतान वर्ष में एक बार बैंकों को किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- ✧ सावधि ऋणों में, पुनर्भुगतान बैंकों में निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाना चाहिए।

- ✧ परियोजना सहायता - 5% ब्याज दर की सब्सिडी सीधे डीएमयू द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी तथा यह सुविधा केवल तीन वर्षों के लिए होगी। एसएचजी/सीआईजी को नियमित आधार पर मूलधन की किश्तों का भुगतान करना होगा।

17. निगरानी विधि-

- ❖ वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और निष्पादन की निगरानी करेगी तथा प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होने पर सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।

- ❖ स्वयं सहायता समूह को प्रत्येक सदस्य की आईजीए की प्रगति और निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए तथा प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए।

निगरानी के लिए कुछ प्रमुख संकेतक इस प्रकार हैं:

- ✧ समूह का आकार
- ✧ निधि प्रबंधन
- ✧ निवेश
- ✧ आय पीढ़ी
- ✧ उत्पाद की गुणवत्ता

18. टिप्पणी

सदस्य निम्न आय वर्ग से संबंधित हैं और वे 25% योगदान कर सकते हैं और परियोजना को इसका वहन करना होगा शेष 75%.

19. समूह सदस्य की व्यक्तिगत तस्वीरें

जिम्मी ठाकुर अंजना देवी रजनी देवी परवीन कुमारी

कमला देवी पुष्पा देवी प्रमिला देवी सुनीता देवी

निशा देवी कंचना देवी

20. समूह फोटो:

स्वयं सहायता समूह का नाम: जय दुर्गा माँ **वीएफडीएस:**सरी रेंज: कमलाह वन मंडल : जोगिंदर नगर

21. संकल्प-सह-समूह-सहमति प्रपत्र:

Resolution-cum-Group-consensus Form

It is decided in the General house meeting of the group Jai Durga Maa held on 05-07-2022 at Sari that our group will undertake the Cutting & tailoring as Livelihood Income Generation Activity under the Project for Implementation of Himachal Pradesh Forest Ecosystem management and Livelihood (JICA assisted).

प्रधान — जय दुर्गा माँ स्वयं सहायता समूह
Signature Of group President

सचिव — जय दुर्गा माँ स्वयं सहायता समूह सरी-II ग्राम पंचायत सरी विकास खण्ड धर्मपुर जिला मण्डी
Signature Of group secretary

प्रधान ग्राम वन विकास समिति सरी ग्राम पंचायत सरी, तह० धर्मपुर,
Signature of President VFDS

22. वीएफडीएस और डीएमयू द्वारा व्यवसाय योजना अनुमोदन:

Business Plan Approval by VFDS and DMU.

Jai Durga Maa Group will undertake the cutting & tailoring as Livelihood Income Generation Activity under the Project for Implementation of Himachal Pradesh Forest Ecosystem management and Livelihood (JICA assisted).In this regard business Plan of Amount Rs. 1,76,100 has been submitted by the group on 05-07-2022 and the Business Plan has been approved by VFDS Seri.

Business Plan is submitted to DMU through FTU for further action please.

Jimmy

जय दुर्गा माँ स्वयं सहायता समूह
सरी-II ग्राम पंचायत सरी विकास
खण्ड धर्मपुर जिला मण्डी

Signature Of group President

Thank You.

Anjana Devi

जय दुर्गा माँ स्वयं सहायता समूह
सरी-II ग्राम पंचायत सरी विकास
खण्ड धर्मपुर जिला मण्डी

Signature Of group secretary

ग्राम वन विकास समिति सरी
ग्राम पंचायत सरी, तहo धर्मपुर,
जिला मण्डी (हि.प्र.)

Signature of President VFDS

Approved

DMU cum DFO Joginder Nagar

D.M.U.-Cum-
Divisional Forest Officer
Joginder Nagar